Serial No.

0178

S.O./STENO DEPTTL. (EXAM) = 2014

### NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks: 200

A-UQ/MCQ

#### INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions:

There are THREE questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

All questions are compulsory.

Question nos. 2 and 3 have SIX parts each, out of which FOUR are to be attempted in each.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the English or Hindi medium as authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers.

Use XXXXX or YYYYY or ZZZZZ etc. in case any of the above are required in answers.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है।

## 1. Please make a précis of the following passage in about one-third of its length :-

40

Globally it has been increasingly accepted that right to information is an important human right. About 80 countries have so far enacted a statutory law to provide access to information to their citizens. It is a big improvement over the situation when the first law on access to information was passed in Sweden in 1766 which made government records available to the public. For more than 100 years no other country adopted such a law. India adopted a comprehensive law on right to information to its citizenry in 2005, which is considered as one of the best transparency laws of the world. It imposes personal liability upon the Public Information Officer, who is a statutory authority under RTI Act, 2005 to provide the information asked for and also puts responsibility upon the public authorities to provide information suo moto. If a Public Information Officer fails to comply with the provisions of RTI Act, he can be imposed a penalty payable personally by him and not by his organization. This is a unique feature of personal liability of officers which is not available under other laws of the country.

India inherited a system of governance from Britishers where accountability was not to the people of the country; the bureaucracy was supposed to be loyal to the foreign government. The post independence period of planned development presupposed a change in the profile of bureaucracy from 'government servant' to 'public servant'. The new system of governance now demanded people's participation in implementation of developmental plans and schemes. In new India, the biggest challenge has been to deliver basic services to improve human development at a remarkably fast speed with available resources. The Indian democracy successfully managed many crises in its journey to growth and development. One of the challenges is the desire to deliver to its people a clean, efficient and responsive administration which could be trusted by all sections of the society. An overweening tendency among the civil servants is to embrace secrecy which - often quite unnecessarily - engendered mistrust and cynicism. It has also been noted that one of the acknowledged and pronounced failures of the Indian State - and most developing states - has been its failure to deliver services to its people at the grass-roots level.

The Right to Information (RTI) Act of 2005 was born in the above backdrop. The Act brought into being something which was foreign to the Indian system of governance and especially to the permanent bureaucracy. It made transparency the norm and secrecy an exception. The objective of the law is very categorically stated in the preamble of the Act of 2005 which desires to give a right to citizens to secure information to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Act accepts that the democracy in India requires informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed.

विश्व भर में अधिकाधिक स्वीकार किया जाता रहा है कि सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। अभी तक लगभग 80 देशों ने अपने नागरिकों को सूचना तक पहुँच प्रदान करने के लिए कानून बना लिए हैं। यह उस स्थिति में एक बड़ा सुधार है जब सूचना तक पहुँच पर पहला कानून स्वीउन में 1766 में भारित किया गया था, जिसने सरकारी रिकार्डों को जनता को उपलब्ध करा दिया था। 100 से भी अधिक वर्षों तक किसी भी देश ने ऐसा कानून नहीं बनाया। भारत ने 2005 में अपने नागरिकों को सूचना के अधिकार पर एक सर्वसमावेशी कानून अपनाया, जिसको संसार के सबसे अच्छे भारदर्शी कानूनों में से एक माना जाता है। यह लोक सूचना अधिकारी पर, जो आरटीआई एक्ट, 2005 के अधीन एक कानूनी प्राधिकारी होता है, पूछी गई जानकारी प्रदान करने का व्यक्तिगत दायित्व आरोपित करता है और साथ ही लोक प्रधिकारियों पर जानकारी को अपनी ओर से प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी सींपता है। यदि लोक सूचना अधिकारी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफल हो जाता है, तो उस पर व्यक्तिगत रूप से जुर्मान की अदायगी, न कि संगठन द्वारा अदायगी, आरोपित की जा सकती है। यह अधिकारियों की व्यक्तिगत दायित्व का एक अद्वितीय अभिलक्षण है, जो देश के अन्य कानूनों के अधीन उपलब्ध नहीं है।

भारत को अंग्रेजों से शासन की जो प्रणाली विरासत में मिली, उसमें जवाबदेही देश की जनता के प्रित नहीं थी, अधिकारीतंत्र से विदेशी सरकार के प्रति निष्ठावान होने की आशा की जाती थी। योजनाबर विकास की स्वातंत्र्योशर अवधि में 'सरकारी नीकर' से 'लोक नौकर' होने की अधिकारीतंत्र की छवि में परिवर्तन की पूर्व कल्पना थी। शासन की नई प्रणाली की अब मांग थी विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी। नए भारत में, सबसे बड़ी चुनौती रही है मानव विकास की उन्नित के लिए बुनियादी सेवाओं की उपलब्ध संसाधनों के साथ उच्च गति से पूर्ति। भारतीय लोकतंत्र ने संवृद्धि और विकास की अपनी यात्रा में आए अनेक संकटों का सफलतापूर्वक निपटान किया है। चुनौतियों में से एक लोगों की एक स्वच्छ, दक्ष और अनुक्रियाशील प्रशासन प्रदान करने की इच्छा है, जिस पर समाज के सभी वर्ग भरोसा रख सकें। सिविल सेवकों में एक प्रबल प्रवृत्ति गुप्ति को अपना तेने की है जो अक्सर अनावश्यक रूप से अविश्वास और सिड़ीयन पैदा करती है। यह भी देखा गया है कि भारत देश की — और अधिकांश विकासशील देशों की — स्वीकृत और सुस्पष्ट विफलता अपने लोगों को तृणमूल स्तर पर सेवाओं को प्रदान करने में रही है।

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम 2005 का जन्म उपरोक्त पृष्ठभूमि में हुआ था। इस अधिनियम ने एक ऐसी चीज पैदा कर दी, जो शासन की भारतीय प्रणाली के लिए, विशेषकर स्थायी अधिकारीतंत्र के लिए, बाहरी थी। इसने पारदर्शिता को एक मानक और गोपनीयता को अपवाद बना दिया। इस विधि का उद्देश्य 2005 के अधिनियम की उद्देशिका (प्रीऐंबल) में अत्यंत सुस्पष्ट रूप से कथित है, जिसकी इच्छा, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का एक अधिकार देने की है। यह अधिनियम स्थीकार करता है कि भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता जानकार नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता है, जो उसके संचालन के लिए और भ्रष्टाचार को दक्षने और शासितों के लिए सरकार को और उसके करणत्वों (इंस्ट्रुमैंटेलिटी) को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है।

The Act of 2005 also observed that revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Government, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information. The Act desires to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal. While the underlying principle is to reveal information to promote transparency and accountability and contain corruption this underlying principle of transparency has to be harmonised with public interest and non disclosure of sensitive information. It will not be wrong to construe that there is a need to strike a balance between information and sensitive information.

The RTI regime emerged essentially as a manifestation of the desire to move the democratic process progressively towards participatory democracy, while deepening democracy and making it more universally inclusive. It can however be observed that the failure of the delivery system of the State to provide fruits of economic development and benefits of social welfare programmes to common men and the need and desire of their participation in all levels of governance have led to the demand for transparency in the functioning of the government and administration. It could not have been possible without supply of information from the government. The legitimacy about access to information comes from the basic jurisprudence of people's right to know how they are governed, their aspirations to get good governance and the need to get full benefits of development and social justice.

Although there is no specific article in the Constitution of India which may specifically guarantee a right empowering citizens to seek information from the government or any other public authority, the judicial history of pronouncements of Supreme Court has clearly established this right to Indian citizens. Legal pundits rightly claim that the RTI Act is not the sole repository of the right to information. They find the source of right to information in the Constitution of India. The Constitution guarantees, under Article 19(1) (a), to every citizen the freedom of speech and expression. The freedom of speech and expression is a preferred right even among the fundamental rights. Its curtailment cannot be on any generalized public interest but only on grounds laid down by law with nexus to the specific circumstances mentioned in Article 19(2) of the Constitution. In order to exercise the freedom of speech and expression effectively, one needs an informed public opinion. The right to information thus flows out of freedom of speech and expression. The Right to Information Act is merely an instrument that lays down the statutory procedure in the exercise of this right. The people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing. Fundamental rights including access to information are such arrangement in the Indian legal system which provide effective democracy. The right to information opens the doors of knowledge to the people - necessarily the ultimate custodian of power in any genuine democracy. It allows the public to see what government, at every level, is doing on behalf of its citizens, and with their money. Transparency is crucial to accountability.

2005 के अधिनियम में यह भी कहा गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना का प्रकटन सरकार के दक्ष प्रचालनों, सीमित राजकोषीय संसाधनों के इंण्टतम उपयोग और संवेदी जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सिंहत अन्य लोक हितों के विरोध में हो सकता है। अधिनियम लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता संरक्षित रखते हुए इन विरोधात्मक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। जबिक आधारिक सिद्धान्त पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जानकारी का प्रकटन है, पारदर्शिता के इस आधारित सिद्धान्त का लोक हित और संवेदनशील जानकारी के अप्रकटीकरण (नॉन डिस्क्लोजर) के साथ सामंजस्य बैठाना भी आवश्यक है। इसका यह अर्थ लगाना गलत नहीं होगा कि सूचना और अतिसंवेदनशील सूचना के बीच एक सतुंलन बैठाने की आवश्यकता है।

आर.टी.आई. व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उत्तरोत्तर सहभागी लोकतंत्र की ओर ले जाने की, और साथ की साथ लोकतंत्र को सचन करते हुए उसको अधिक सर्वव्यापीत समावेशी बनाने की, एक अधिव्यक्ति के रूप में उभर कर आयी। परंतु यह कहा ही जा सकता है कि आर्थिक विकास के फलों को और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लाभों को साधारण व्यक्ति तक पहुँचाने में राज्य के प्रदाय (डिलिवरी) तंत्र की विफलता और शासन के सभी स्तरों में उनकी भागीदारी की आवश्यकता और इच्छा ने सरकार और प्रशासन के प्रकार्यविधि में पारदर्शिता की मांग पैदा कर दी है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचना के अभाव में यह संभव नहीं था। लोगों के जानने का हक, कि वे किस प्रकार शासित हैं के बुनियादी विधिशास्त्र, बढ़िया शासन पाने की उनकी आकांक्षाओं और विकास और सामाजिक न्याय के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने की आवश्यकता से, जानकारी तक उनकी पहुँच को विधिसम्मतता प्रदान करती है।

यद्यपि भारत के संविधान में कोई विनिर्दिष्ट अन्च्छेद नहीं है जो सरकार से या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्ति के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के अधिकार की गारंटी प्रदान करे, तथापि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के न्यायिक इतिहास ने भारत के नागरिकों को यह अधिकार स्थापित कर दिया है। विधिवेत्ता यह ठीक ही कहते हैं कि आर टी.आई. अधिनियम ही सूचना के अधिकार का अनन्य भंडार नहीं है। वे सूचना के अधिकार का स्रोत भारत के संविधान में ढूँढते हैं। संविधान अनुच्छेद 19(1) (क) के अधीन प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों में भी एक तरजीही अधिकार है। इसका हमन किसी सामान्यीकृत लोक हित से नहीं हो सकता है, वरन वह केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में हो सकता है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए सूचना संपन्न लोकमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सूचना का अधिकार का निर्भम वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य से होता है। सूचना का अधिकार तो केवल एक ऐसा उपकरण है जो इस अधिकार को पाने के लिए कानूनी कार्यविधि तय कर देता है। इस देश की जनता को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक सार्वजनिक कार्य को, सार्वजनिक रूप से किए गए प्रत्येक कार्य को, जानने का अधिकार है। उन्हें प्रत्येक लोक लेनदेन का, उसके सभी परिणामों सहित, जानने का हक प्राप्त है। सूचना तक पहुँच सहित मूल अधिकार भारत के विधिक तंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रभावी लोकतंत्र प्रदान करती हैं। सूचना का अधिकार जनसाधारण, जो वास्तविक लोकतंत्र में शक्ति के अंतिम रखवाले होते हैं, के लिए ज्ञान के दरवाजें खोल देता है। यह जनसाधारण को अनुमति देता है कि वह देखे कि सरकार प्रत्येक स्तर पर, नागरिकों की ओर से और उनके घन के द्वारा क्या कर रही है। पारदर्शिता जवाबदेही के लिए निर्णायक होती है।

(a) Following is a case regarding scholarship to Ph.D. students of an autonomous statutory university under Ministry of Human Resource Development (MHRD). Following facts/ information are available on the basis of existing records of correspondence between MHRD and the Universities:

(i)	26:11.2010	An autonomous statutory university recommended revised list of 10 names for award of scholarship to Ph.D. students of 2009-10.
(ii)	22.01.2011	The university recommended names of 10 students for scholarship to students of Ph.D. for the year 2009-10 to Ministry of Human Resource Development (MHRD).
(iii)	06.04.2011	The same university forwarded 10 names to Deputy Secretary (Scholarship), MHRD on 06.04.2011 in continuation of an earlier letter (date not mentioned) for scholarship for the year 2009-10.
(iv)	21.04.2011	The same university vide letter dated 21.04.2011 sent a list of 10 names for award of scholarship to Ph.D. students of 2010-11.
(v)	22.04.2011	Deputy Secretary (Scholarship) asked the university to indicate total number of students enrolled to Ph.D. for 2009-10; informing the university that, as per the guidelines, (i) only 25% of the students enrolled for Ph.D. can be considered for the said fellowship, according to merit, and (ii) 50% fellowship will be carmarked for reserved categories.
(vi)	21.05.2011	The university wrote to Deputy Secretary (Scholarship) reiterating to accept the decision of the university in respect of scholarship for M.Phil. 2009-10 and 2010-11.
(vii)	21.06.2011	The university again requested Deputy Secretary (Scholarship) to accept the decision of the university for award of scholarship to students for 2009-10 and 2010-11 and assured that in future prescribed limit as per above mentioned guidelines will be followed.

(क) नीचे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के अधीन एक स्वायत्त कानूनी विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति के संबंध में एक केस दिया गया है। MHRD और विश्वविद्यालयों के बीच पत्राचार के विद्यमान रिकार्डों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य/जानकारी उपलब्ध है:

(i)	26.11.2010	एक स्वायत्त कानूनी विश्वविद्यालय ने 2009-10 के पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 नामों की एक संशोधित सूची की सिफारिश करता है।
(ii)	22,01.2011	विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2009-10 के लिए पीएचडी के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 10 नामों की सिफारिश करता है।
(iii)	06.04.2011	वही विश्वविद्यालय, एक पूर्व पत्र (तारीख का उल्लेख नहीं) के आगे के क्रम में 06.04.2011 को MHRD मंत्रालय के उपसचिव (छात्रवृत्ति) को वर्ष 2009-10 के लिए छात्रवृत्ति के लिए 10 नाम अग्रेषित करता है।
(iv)	21.04.2011	उसी विश्वविद्यालय ने दिनांक 21.4.2011 के पत्र द्वारा 2010-11 के पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 नामों की एक सूची भेजी।
(v)	22.04.2011	उपसचिव (छात्रवृत्ति) ने 2009-10 के लिए पीएचडी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या पूछी। इसके साथ उसने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के मुताबिक (i) पीएचडी के लिए नामांकित छात्रों में से केवल 25% को ही योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए विचारित किया जा सकता है, और (ii) 50 अध्येतावृत्तियां आरक्षित वर्गों के लिए नियत हैं।
(vi)	21.05.2011	विश्वविद्यालय ने उपसचिव (छात्रवृत्ति) को 2009-10 और 2010-11 के लिए एम फिल के लिए छात्रवृत्ति के बारे में विश्वविद्यालय के निर्णय को स्वीकार करने पर बल दिया।
(vii)	21.06.2011	विश्वविद्यालय ने फिर से उपसचिव (छात्रवृत्ति) से अनुरोध किया कि 2009-10 और 2010-2011 के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने के निर्णय को स्वीकार कर ले और विश्वास दिलाया कि भविष्य में उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित सीमा का अनुपालन किया जाएगा।

(viii) 06.07.2011	Deputy Secretary (Scholarship) wrote to university on 06.07.2011 that department recommended 20 students for scholarship out of 50 students enrolled in Ph.D. for 2009-10 and 2010-11. As per rules, only 12 students (six students each year) should have been recommended for the said fellowship. University was requested to do the needful accordingly.
(ix) 24.11.2011	The university vide letter dated 24.11.2011 sent six names of students for 2009-10; six students for 2010-11 scholarship. The university also sent Ph.D. scholarship forms in respect of the candidates of Batch 2010-11 and 2009-10 to the Deputy Secretary (Scholarship).
(x) 07.03.2012	Section Officer (Scholarship) informed the university vide letter dated 07.03,2012 the discrepancy that 2009-10 batch is not eligible for this fellowship.
(xi) 22.03.2012	The university wrote a letter dated 22.3.2012 to Deputy Secretary (Scholarship) stating that it was understood that students of 2009-10 batch were being denied scholarship on the ground that their recommendation from the university had reached late. It was confirmed by the university that recommendation for this batch was sent twice in time. It was further stated that correspondence was going on for the batch of 2009-10 since 2010.
(xii) 24.05.2012	Deputy Secretary (Scholarship) conveyed the approval to the University for grant of scholarship to six Ph.D. students of 2010-11 vide letter dated 24.05.2012.
(xiii) 06.06.2012	Deputy Secretary (Scholarship) vide letter dated 06.06.2012 informed the university that the cases of Ph.D. students for 2009-10 for scholarship cannot be considered at this "late stage".

The Ph.D. students of the 2009-10 batch of the same university filed a petition through proper channel, to the Minister in-charge of Ministry of Human Resource Development about the unlawful denial of Ph.D. scholarship to them for which the students were not at fault. They requested the minister to look into the matter personally and pass appropriate order to grant Ph.D. scholarship to the students of the batch of 2009-10.

(viii)	06.07.2011	उपसचिव (छात्रवृत्ति) ने 06.07.2011 को विश्वविद्यालय को लिखा कि विभाग ने 2009-10 और 2010-11 के लिए पीएचडी में नामांकित 50 छात्रों से से 20 छात्रों की सिफारिश की थी। नियमों के अनुसार केवल 12 छात्रों (प्रति वर्ष 6 छात्र) की छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की जानी चाहिए थी। विश्वविद्यालय से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
(ix)	24.11.2011	विश्वविद्यालय ने अपने 24.11.2011 के पत्र के द्वारा 2009-10 के लिए 6 नामों और 2010-11 के लिए 6 नामों की छात्रवृत्ति के लिए सूचियां भेजी। विश्वविद्यालय ने उपसचिव (छात्रवृत्ति) को बैच 2010-11 और 2009-10 के उम्मीदवारों के लिए पीएचडी छात्रवृत्ति फार्म भी भेजे।
(x)	07.03.2012	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति) ने अपने 07,03.2012 के पत्र के द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया क्योंकि 2009-10 का बैच इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्र नहीं है।
(xi)	22.03.2012	विश्वविद्यालय ने दिनांक 22.03.2012 को उपसचिव (छात्रवृत्ति) को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि समझा जाता है कि बैच 2009-10 के छात्रों को छात्रवृत्ति इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि विश्वविद्यालय से सिफारिश विलंब से पहुँची थी। विश्वविद्यालय ने पुष्टि की कि उस बैच के लिए सिफारिश समय के भीतर दो बार भेजी गई थी। आगे कहा गया कि बैच 2009-10 के लिए पत्राचार 2010 से ही चल रहा था।
(xii)	24.05.2012	उपसचिव (छात्रवृत्ति) ने अपने 24.05.2012 के पत्र के द्वारा 2010-11 के छ: पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति की मंजूरी बता दी।
(xiii)	06.06.2012	दिनांक 06.06.2012 के अपने पत्र में उपसचिव (छात्रवृत्ति) ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि छात्रवृत्ति के लिए 2009-10 के पीएचडी छात्रों के मामलों पर इस "विलंबित अवस्था" में विचार नहीं किया जा सकता है।

उसी विश्वविद्यालय के 2009-10 बैच के छात्रों ने उचित माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को पीएचडी छात्रवृत्ति की अवैध अस्वीकृति के बारे में एक याचिका भेजी, जिसके लिए उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने मंत्री से मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और बैच 2009-10 के छात्रों को पीएचडी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उचित आदेश देने का अनुरोध किया। The Minister asked for factually correct report explaining the guidelines governing the Ph.D. scholarship scheme. He also asked for an analysis of the issues involved in the case and reasons for denying the scholarship to 2009-10 batch and justification(s) thereof, if any. Put up a self contained note as Section Officer (Scholarship) in not more than 250 words for consideration of appropriate higher authorities.

- (b) As a Section Officer in Ministry of Textiles you visited Central Silk Board (CSB) and collected following information :
  - (i) The demand for raw silk in the country has grown during the last five year period from 28,000 mt to 30,000 mt.
  - (ii) India would achieve complete self-sufficiency in quality raw silk production by 2020.
  - (iii) The price of imported silk yarn went up to around Rs.4,400/- from around Rs.3,000/- a kg in the last one year due to strengthening of the dollar against the rupee.

#### (iv) OTHER FACTS:

Year	Quantum of Indigenously produced silk	Quantum of silk imported
2008-09	18,370 tonnes	8,392 tonnes
2009-10	19,690 tonnes	7,344 tonnes
2010-11	20,410 tonnes	5,282 tonnes
2011-12	23,060 tonnes	5,683 tonnes
2012-13	23,679 tonnes	4,951 tonnes
	Source : Central Silk	Source : Karnataka Silk
	Board	Marketing Board

Please submit a report to Joint Secretary incharge of Silk in the Ministry of Textiles about the status of Silk production in the country explaining the scope of self sufficiency in Silk production in the country.

मंत्री ने पीएचडी छात्रवृत्ति योजना के नियंत्रक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ तथ्यत: सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उसने मामले में शामिल मुद्दों का विश्लेषण और 2009-10 बैच को छात्रवृत्ति के इनकार के कारणों और उसके पक्ष में दलीलों को मांगा। अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति) के तौर पर, उचित उच्च प्राधिकारियों के विचारार्थ, अधिक से अधिक 250 शब्दों में, एक स्वत:पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

- (ल) वस्त्र मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी होने के नाते आपने केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) का दौरा किया और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की ;
  - (i) अपिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में कच्चे रेशम की मांग बढ़ कर 28,000 मेट्रिक टन से 30,000 मेट्रिक टन हो गई है।
  - (ii) बढिया कच्चे रेशम उत्पादन में भारत 2020 तक पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जाएगा।
  - (iii) पिछले एक साल में रुपए के मुकाबले डालर के मजबूत हो जाने के कारण, आयातित रेशम धागे की कीमत लगभग रु. 3,000/कि.ग्रा. से बढ़कर रु. 4,400/कि.ग्रा. हो गई है।

#### (iv) अन्य तथ्य :

वर्ष	देश में उत्पादित रेशम की मात्रा	आयातित रेशम की मात्रा
2008-09	18,370 ਵਜ	8,392 ਟਜ
2009-10	19,690 ਟਜ	7,344 टन
2010-11	20,410 তল	5,282 टन
2011-12	23,060 ਟਜ	5,683 टन
2012-13	23,679 ਟਜ	4,951 टन
	स्रोत : केन्द्रीय रेशम बोर्ड	स्रोत : कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड

देश में रेशम उत्पादन में आत्म-निर्भरता की गुंजाइश को स्पष्ट करते हुए, रेशम उत्पादन की अवस्थिति के बारे में वस्त्र मंत्रालय में रेशम के प्रभारी संयुक्त सचिव को एक रिपोर्ट पेश कीजिए।

- (e) In the monthly economic report of October 2013, Ministry of Finance has highlighted the following:
  - Estimated GDP growth rate of 4.4% in the first quarter of 2013-14.
  - Food Grain Stocks held by Government agencies were 509.3 Lakh tonnes as on September 1st 2013.
  - Overall growth in the Index of Industrial Production (IIP) was 2.0 per cent during September 2013 as compared to (-) 0.7 per cent in September 2012.
  - Exports increased by 13.5 per cent and imports decreased by 14.5 per cent, in US
    Dollar terms, during October 2013 over October 2012.
  - Foreign Currency Assets stood at US \$ 254.7 billion at end-October 2013 as compared to US \$ 261.1 billion at end-October 2012.
  - The Rupee appreciated against US Dollar, Pound Sterling, Japanese Yen and Euro in the month of October 2013 over September 2013.
  - Gross tax revenue for the financial year 2013-14 (April-September) at Rs.458.172 crore, recorded a growth of 7.8 per cent over 2012-13 (April-September).
  - As a proportion of budget estimate, fiscal deficit and revenue deficit during 2013-14 (April-September) was 76 per cent and 84.8 percent respectively.

Prepare a note in not more than 150-200 words highlighting the status of economy in the country on the basis of above information.

(d) In a writ petition the High Court of Delhi has passed the following order and directed that the government may circulate the decision of the High Court for compliance :—

This court notes that Central Information Commission (CIC) had directed the Ministry of Tourism, the petitioner, to thoroughly investigate the availability of a report on tourism in the state of Meghalaya. The CPIO who appeared before the CIC has informed the commission that the said report was not available in the Ministry. The facts of the case discussed and brought before this Court proved that no proper investigation was carried out by the Public Authority. The Court therefore, directs that a thorough and meaningful inquiry may be undertaken to find out about the availability of said report. In such cases inquiry should be carried out by an officer not below the rank of Joint Secretary.

As a Section Officer in Ministry of Tourism examine the order of the High Court and submit a note with appropriate draft of communication to circulate High Court direction.

- (ग) अन्तूबर 2013 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में, वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित पर प्रकाश डाला है:
  - 2013-14 की पहली तिमाहीं में अनुमानित जीडीपी संवृद्धि दर 4.4% थी।
  - सरकारी एजेंसियों द्वारा रखे गए अनाज के भंडार पहली सितंबर 2013 को 509.3 लाख टन थे।
  - औद्योगिक उत्पादन सूचकांकं (आई.आई.पी.) में समग्र संवृद्धि सितंबर 2012 में (-) 0.7 प्रतिशत की तुलना में, सितम्बर 2013 के दौरान 2.0 प्रतिशत थी।
  - अक्तूबर 2012 की तुलना में अक्तूबर 2013 के दौरान, यूएस डालर के हिसाब से, नियति 13.5 प्रतिशत बढ़े और आयात 14.5 प्रतिशत घटे।
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां अक्तूबर 2012-अंत में यूएस डालर 261.1 बिलियन की तुलना में अक्तूबर 2013-अंत में यूएस डालर 254.7 बिलियन थी।
  - सितंबर 2013 की तुलना में, अक्तूबर 2013 के महीने में यूएस डालर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरों के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ी।
  - विसीय वर्ष 2013-14 (अप्रैल-सितंबर) के लिए सकल कर राजस्व रु. 458.172 करोड़ था, जो 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) से 7.8 प्रतिशत अधिक था।
  - बजट प्राक्कलन के अनुपात के रूप में, 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमण: 76 प्रतिशत और 84.8 प्रतिशत थे।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर, देश में अर्थ-व्यवस्था की अवस्थिति को, अधिक से अधिक 150-200 शब्दों में, उजागर करते हुए एक टिप्पणी तैयार कीजिए।

(घ) एक रिट याचिका में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया और निदेश दिया कि सरकार अनुपालन के लिए निर्णय को परिचालित करें :—

> "यह न्यायालय नोट करता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने पर्यटन मंत्रालय, याची को मेघालय राज्य में पर्यटन पर रिपोर्ट की उपलब्धता की पूर्णकृपेण जांच करने के लिए निदेश दिया था। सी.आई.सी. के सामने जो सी.पी.आई.ओ. पेश हुआ था उसने आयोग को सूचित किया कि रिपोर्ट मंत्रालय में उपलब्ध नहीं थी। न्यायालय के समक्ष चर्चित और प्रस्तुत केस के तथ्यों ने साबित किया कि लोक प्राधिकारी द्वारा समुचित जांच नहीं की गई थी। न्यायालय, इसलिए, निदेश देता है कि रिपोर्ट की उपलब्धता को मालूम करने के लिए संपूर्ण और अर्थपूर्ण जांच की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जांच संयुक्त सचिव के पद से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए।"

पर्यटन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी होने के नाते उच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कीजिए और उच्च न्यायालय के निर्देश को परिचालित करने के लिए पत्र के उचित मसौदे के साथ एक टिप्पणी पेश कीजिए।

- (e) Ministry of Law, Gol has taken the decision with the approval of President of India to appoint Shri XYZ, presently serving as Secretary, Department of Corporate Affairs as Election Commissioner of India in the vacancy of the Election Commission caused due to appointment of Shri ABC as Chief Election Commissioner. The appointment of Shri XYZ as Election Commissioner will be for a period of Five years or till he achieves the age of 65 years, whichever is earlier, and will commence from the date of his joining the office of Election Commission of India. Draft a Notification for publication in the Gazette of India, part 1, section 2.
- (f) Ministry of Information and Broadcasting has decided to appoint Shri GM, a retired Director of Ministry of Finance (Department of Expenditure) as consultant to advise the Ministry for further delegation of financial powers under Delegation of Financial Power Rules (DFPR) to all heads of departments in the Ministry, attached and subordinate offices, statutory organizations and corporations. It has been decided that he will be paid monthly honorarium equivalent to his last pay drawn minus pension as per rules. He has been asked to submit his recommendations in three months from the date of his joining.

Ministry of Information & Broadcasting agreed to provide secretarial assistance during Shri GM's appointment as Consultant. If he travels out of head quarter on any official assignment, he will be paid TA/DA at Government approved rates. Prepare an Order of appointment of Shri GM as Consultant.

### 3. Attempt any four of the following :-

15×4=60

(a) A reference has been made to Department of Personnel & Training, Govt. of India, enquiring whether consultation with Central Vigilance Commission (CVC) in disciplinary proceedings initiated as a consequence of conviction in a court of law of a Government servant in a corruption case is essential or not.

It has already been decided vide Govt. of India resolution No.24/7/64 dated 11.02.1964 that consultation with Central Vigilance Commission (CVC) is required before disciplinary authority (DA) imposes a penalty in a disciplinary case involving vigilance angle whether a disciplinary proceedings is initiated under rules 14 or 19 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal, CCA) Rules 1965. The Department of Personnel and Training (DOP&T) decided to re-circulate the decision to all disciplinary authorities under all ministries/departments so that the existing instructions on the subject are followed. Draft an Office Memorandum from Deputy Secretary, DOP&T in charge of Administration & Vigilance Division (AVD), to convey this decision.

- (च) न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, श्री XYZ को, जो वर्तमान में कॉरपोरेट कार्य विभाग में सचिव के तौर पर सेवारत हैं, निर्वाचन आयोग में श्री ABC के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने से हुई रिक्ति में भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया है। श्री XYZ की निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्ति पाँच साल की अवधि या उनके 65 वर्ण की आयु तक पहुँचने, जो भी पहले हो, तक होगी और नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण की तारीख से प्रारंभ होगी। भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड 2 में प्रकाशन के लिए एक अधिसूचना का मसौदा तैयार कीजिए।
- (छ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, मंत्रालय, में विभागों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, कानूनी संगठनों और निगमों के सभी प्रधानों को सलाह देने के लिए परामर्णवाता के तीर पर, श्री GM, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सेवानिवृत्त निदेशक को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि उनको नियमानुसार, आहत अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर बनी राशि के बराबर मासिक मानदेय दिया जाए। उनको कहा गया है कि कार्यग्रहण की तारीख से तीन महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दें।

परामर्शवाता के रूप में श्री GM की नियुक्ति के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनको सचिवालयी सहायता प्रदान करना मान लिया है। यदि वे किसी सरकारी समनुदेशन (ऐसाइनमेंट) पर मुख्यालय से बाहर की यात्रा करते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा। परामर्शवाता के रूप में, श्री GM की नियुक्ति का एक आदेश तैयार कीजिए।

# 3. निम्नलिशित में से किन्हीं चार का उत्तर दीजिए :— 15×4=60

(क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, से सलाह के लिए लिखा गया है कि क्या भ्रष्टाचार मामले में सरकारी कर्मचारी की न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप आरंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से परामर्श लेना आवश्यक है अथवा नहीं।

यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि सतर्कता कोण वाले अनुशासिनक मामले में दंड आरोपित करने से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से परामर्श करने की आवश्यकता है, चाहे अनुशासिनक कार्रवाई केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन या नियम 19 के अधीन की जानी हो (देखिए भारत सरकार संकल्प संस्था 24/7/64 तारील 11.02.1964) कार्मिक और प्रज्ञिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने सभी मंत्रालपों/विभागों के अधीन अनुशासिनक प्राधिकारियों को यह निर्णय फिर से परिचालित करने का निर्णय लिया ताकि इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के प्रशासन और सतर्कता प्रभाग (ए.वी.डी.) के प्रभारी उपसंचिव, की ओर से कार्यालय ज्ञापन का मसीदा तैयार कीजिए।

(b) Smt. PQ, resident of Central Government Colony, Chandigarh lodged a complaint to Central Information Commission (CIC), under section 18(1) of RTI Act 2005 which reads as following:

> "Subject to the provision of this Act, it shall be the duty of Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person."

In her complaint she alleged that the Public Information Officer (PIO) and first Appellant Authority (AA) of All India Radio have not provided her the information which she desired to know under RTI Act. The PIO of the concerned public authority has taken the view that the information sought by Smt. PQ is very voluminous. The CIC issued order that PIO may provide the opportunity to the complainant to inspect the files/documents/records containing the required information. Draft a letter from Public Information Officer to Smt. PQ to implement the order of CIC.

(c) Shri 'A', UDC was transferred from R & D section of Council of Scientific Industrial Research (CSIR) to the Budget section of the same organization at the same station on 01.01.2008 with immediate effect. He did not join the new place of posting for next 15 days. He, however, reported for duties in his old section on 16.01.2008 and informed his Section Officer that he was unwell. He did not submit any Medical Certificate of illness or fitness. Section Officer advised him to join his new place of posting. Shri 'A', UDC joined Budget section of CSIR on17.01.2008 and then did not attend office from 18.01.2008 to 25.01.2008 without any intimation. He was issued show cause notice to explain his unauthorized absence. In his reply he requested for regularization of his absence by sanctioning appropriate leave. The disciplinary authority decided to initiate disciplinary proceedings against Shri 'A', UDC for violation of Rule 3 of CCS (Conduct) Rules 1964 under Rule 14 of CCS (CCA) Rule 1965. Please prepare a Charge Sheet against Shri 'A', UDC.

(ल) केन्द्रीय सरकार कालोनी चंडीगढ़ की निवासी श्रीमित पी.क्यू., ने आर.टी.आई. अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के अधीन केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) को एक शिकायत दायर की जिसका पाठ निम्नलिक्षित है:

"इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसे भी मामला हो, का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे।"

अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि आल इंडिया रेडियों के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) और प्रथम अपील प्राधिकारी ने वह सूचना प्रदान नहीं की, जिसको वह आर टी.आई. अधिनियम के अधीन जानना चाहती थी। संबंधित लोक प्राधिकरण के पी.आई.ओ. ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि श्रीमती पी.क्यू. द्वारा मांगी गई जानकारी भारी-भरकम है। सी.आई.सी. ने आदेश जारी किया कि पी.आई.ओ शिकायतकर्ता को अपेक्षित जानकारी वाली फाइलों/दस्तावेजों/रिकाडों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करे। सी.आई.सी. के इस आदेश के अनुपालन के लिए, लोक सूचना अधिकारी की ओर से श्रीमित पी.क्यू. को सम्बोधित एक पत्र का मसीदा तैयार कीजिए।

(ग) श्री A, प्रवर श्रेणी लिपिक का तबादला, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिणद (सी.एस.आई. आर.) के अनुसंधान और विकास अनुभाग से उसी शहर में उसी संगठन के बजट अनुभाग में 01.01.2008 को तुरन्त प्रभावी के साथ कर दिया गया। उसने अगले 15 दिनों तक तैनाती के नए स्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। परंतु उसने 16.01.2008 को अपने पुराने अनुभाग में ही इयूटी के लिए प्रतिवेदन दिया और अपने अनुभाग अधिकारी को कहा कि उसकी तबीयत खराब थी। उसने बीमारी या स्वस्थता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश नहीं किया। अनुभाग अधिकारी ने उसको तैनाती के नए स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण की सलाह दी। श्री A, प्रवर श्रेणी लिपिक, ने सी.एस.आई. आर. के बजट अनुभाग में 17.01.2008 को कार्यभार संभाला और उसके बाद 18.01.2008 से 25.01.2008 तक बिना किसी सूचना के वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। उसकी अप्रधिकृत अनुपस्थिति को स्पष्ट करने के लिए उसको 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया। अपने उत्तर में, उपयुक्त छुट्टी की मंजूरी के द्वारा उसने अपनी अनुपस्थिति के नियमितीकरण का अनुरोध किया। अनुशासितिक प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन सी.सी.एस. (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के उल्लंघन के लिए श्री A के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया। श्री A, प्रवर श्रेणी लिपिक, के विरुद्ध एक आरोप पत्र तैयार कीजिए।

(d) The government has been receiving representations from public, NGOs, legislatures etc. expressing their concern about increasing number of sexual harassment cases at work places, home and other public places. The newspaper reports suggest that the number of offenses against women is alarming. The government examined these representations and noted that many existing laws have been recently amended to make them more stringent. The law enforcing agencies have been given more powers to deal with such cases. Separately actions have also been initiated to educate people to respect women. However, the government has decided to set up a three man Commission to go deep into the issue and suggest further measures required to be taken to improve the condition of women in work places, home and other public places. It was decided that the Commission will be headed by a retired Judge of Supreme Court and will include two other members consisting of a retired senior police officer and a representative of NGOs associated with women welfare. The Commission will be asked to submit its report within six months after consulting stake holders.

Prepare a press communiqué/note which will be signed by Joint Secretary of Ministry of Women Welfare, Gol. The Press communiqué/note should be published in newspapers by 31.12.2014.

- (e) A Member of Parliament has written a letter to Secretary, Department of Higher Education, MHRD stating that many new Central Universities have been recently set up by the Central Government. The Member of Parliament in his letter recommended names of three persons from his constituency who are well qualified and competent for appointment to the available teaching posts in their respective subjects in any one of these newly set up Central Universities. Draft a suitable reply from Secretary, Department of Higher Education to the Member of Parliament.
- (f) A Cyclone has recently hit the Eastern Coastal line of states in South India particularly Odisha, Andhra Pradesh and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. A "Calling Attention" notice has been admitted in the Rajya Sabha on the subject "Damage of life, property and crop caused by the Cyclone and relief measures taken by the Government". Please prepare a Statement to be made by the Minster in charge of Disaster Management to be made in Rajya Sabha, giving all possible relevant information.

(घ) सरकार जनता, गैर सरकारी संगठनों, विधायकों आदि से, कार्य-स्थलों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है। समाधारपत्रों की रिपोर्ट सुझाती हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या चिंताजनक है। सरकार ने इन अभ्यावेदनों का परीक्षण किया और नोट किया कि अनेक विद्यमान कानूनों को ज्यादा सख्त बनाने के लिए हाल में संशोधन किया गया है। कानून लागू करने वाली अभिकरणों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सम्मान देने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए अलग से कार्य आरंभ किए गए हैं। फिर भी सरकार ने मुद्दे पर गहराई से सोचने और कार्य स्थलों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए और आगे के उपायों का सुझाव देने के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया कि आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीण होगा और उसमें दो अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक मेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दूसरा महिला कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। आयोग से सरीकारधारियों से परामर्श के बाद छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा।

एक ऐसी प्रेस विश्वप्ति तैयार कीजिए, जिसको महिला कल्याण मंत्रालय, शास्त सरकार के संयुक्त सचिव हस्ताक्षरित करेंगे। प्रेस विश्वप्ति समाचार-पत्रों में 31.12.2014 तक छप जानी चाहिए।

- (च) एक संसद सदस्य ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है केंद्रीय सरकार ने अनेक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। संसद सदस्य ने अपने पत्र में अपने चुनाव-क्षेत्र से ऐसे तीन नामों की सिफारिश की है, जो भली प्रकार अर्हता-प्राप्त हैं और नए स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से किसी में भी अपने-अपने विषयों में उपलब्ध अध्यापन पदों पर नियुवित के लिए सक्षम हैं। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, की ओर से संसद सदस्य के लिए एक उपयुक्त जवाब का मसीदा तैयार कीजिए।
- (छ) एक चक्रवात ने दक्षिण भारत में राज्यों के पूर्वी समुद्री तट, विशेषकर ओडीशा, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, पर हाल में प्रहार किया है। "चक्रवात द्वारा जीवन, संपत्ति और फसल की सित और सरकार द्वारा की गई राहत कार्रवाई" विषय पर राज्य सभा में एक "ध्यान आकर्षण सूचना" स्वीकृत की गई है। सभी संभव संगत जानकारी प्रदान करते हुए, राज्यसभा में आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री के द्वारा दिए जाने वाला विवरण तैयार कीजिए।

Serial No.

A-UQ/MCQ

## टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

समय : तीन घंटे

पूर्णांक : 200

## अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कृपया निम्न में से प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पड़ें : तीन प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रश्न संख्या 2 एवं 3 प्रत्येक के छ: भाग हैं, जिनमें प्रत्येक से चार भाग करने हैं। प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गमा है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। जहाँ भी प्रश्नों में विनिर्दिष्ट हो, शब्द सीमा का पालन करें।

उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ या पृष्ठ के भागों को सफाई से काट दें।

टिप्पणी : आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अञ्चात रहना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो उपर्युक्त के लिए XXXXX या YYYYY या ZZZZZ इत्यादि का उपयोग करें।

Note: English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.